E-CONTENT

Subject : Economics
Class : B A Part I (Paper II)
Topic : Implications of WTO on Developing Countries

By:
EKATA KUMARI
Guest Faculty
(Assistant Proffesor)
Mahila College Sasaram; Rohtas
Email I'd:
bhaichunjekata@gmail.com

Implication of World Trade Organisation on Developing Countries: भारत जैसे विकासशील देशो पर WTO के निहित प्रभावो का अध्ययन हम निम्न दो शीर्षको के अन्तर्गत करते है —

(I.) WTO की सदस्यता से विकासशील देशों को सम्भावित हानियाँ
(II) WTO की सदस्यता से विकासशील देशो को सम्भावित लाभ।

(I.) Probable Disadvantages to Developing Countries on the Membership of WTO — आलोचको का मत है कि WTO के सदस्य बनने से भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशो को हानि उठानी पड़ेगी। WTO की सदस्यता से भारत को निम्न खतरे हो सकते है —

(a.) कृषि के लिए खतरा —

WTO की सदस्यता से भारत को कृषि मे इस प्रकार की हानि होने की सम्भावना है —

(i) इससे किसानो को कृषि सम्बन्धी तकनीक एवं उन्नत बीजो के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का मोहताज हो जाना पड़ेगा।

(ii) समझौते के बाद कृषि को मिलनेवाली सब्सिडी या ऐसी सहायता कम हो जाएगी जिससे निर्धन किसानो पर बुरा असर पड़ेगा।

(iii) खाद्यान्नों को देश की खपत का 3% अनिवार्य रूप से आयात करने की शर्त लगाई गई है जिसका देश के भुगतान सन्तुलन पर बुरा असर पड़ेगा।

(iv) पर्यावरण संरक्षण की आड़ मे भारत मे निर्मित अनेक कृषि पदार्थों का विकसित देशो द्वारा किया जानेवाला आयात कम होगा।

(v) इस समझौते के अनुसार उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग छोटे तथा सीमान्त किसान के लिए कठिन होगा। इससे आर्थिक विषमता की खाई बढने की प्रबल सम्भावना है।

(b) व्यापार से सम्बन्धित विनियोग उपाय (ट्रिम्स) के विषय में तर्क —

(i) WTO के अनुसार भारत विदेशी विनियोग पर कोई नियन्त्रण नहीं लगा सकेगा। इसके फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत मे अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र होगी। इनका घरेलू उद्योगो पर बुरा असर पड़ेगा तथा यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा।

(ii) विदेशी विनियोग की खुली छूट से देश से पूंजी का पलायन होगा और रुपये के मूल्य में गिरावट आने लगेगी, कुल मिलाकर व्यापार सम्बन्धी विनियोग उपायो का समझौता राष्ट्रीय सरकार की निर्णयात्मक शक्ति को कम कर देगी।

(c) बौद्धिक सम्पदा अधिकारो (ट्रिप्स) का दुष्प्रभाव —

(i) यह औषधियों, कृषि, पौधे और पशु आदि सम्बन्धी पेटेण्ट प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार होगा। विकसित देशो के पास अनुसन्धान और विकास के असीम साधन है, इसलिए उन्हें पेटेन्ट करवाने की अधिक सुविधा होगी।

(ii) विदेशी विनियोग की छूट, पेटेन्ट के लिए शुल्क आदि के भुगतान से देश मे पूंजी का बर्हिगमन होगा और देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जाएगा।

(iii) विकासशील देशो मे पेटेन्ट किए हुए कच्चे माल का आयात करना पड़ेगा तथा निर्यात को आघात पहुँचेगा।

d.) सेवाओं के सामान्य समझौते (गैट्स) में हानि —
गैट्स समझौता विकसित देशों के अनुकूल है क्योंकि यह उन्हीं सेवाओं के उदारीकरण पर जोर देता है जिनका लाभ विकसित देशों को मिलता है।

e.) आर्थिक नीतियों के निर्माण में गतिरोध —
WTO के बनने से विकासशील देशों की सरकारों को अपनी स्वतंत्र आर्थिक एवं गैर आर्थिक नीतियों के निर्माण में गतिरोध आयेगा क्योंकि उदारीकरण के चलते इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों के लिए खोलनी पड़ेगी।

f.) आर्थिक शोषण —
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विकासशील राष्ट्रों में पूंजी विनियोजन की छूट मिलने से इन राष्ट्रों के आर्थिक शोषण में वृद्धि होगी। गैट समझौते में व्यवस्था है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देशी कम्पनियों के समान ही माना जाना चाहिए। समझौते के इन प्रावधानों से विकासशील राष्ट्रों को अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में कठिनाई होगी।

g.) सामाजिक शोषण —
अप्रैल 1994 में अमेरिका ने मारकेश (मोरक्को, अफ्रीका) में अनेक सामाजिक प्रश्नों, जैसे बाल श्रम, मानवीय अधिकार, बंधुआ श्रम को रोजगार से जोड़ने की बात पर जोर डाला। विकसित देश विकासशील देशों की वस्तुओं की नीची कीमत के कारण कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के डर से भारत द्वारा निर्यात किए जानेवाले कालीनों, हीरे जवाहरात, हैण्डीक्राफ्ट, सिले सिलाए वस्त्र, चाय आदि के आयात पर प्रतिबन्ध लगा देंगी, इससे हमारे निर्यात पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा।

h.) पर्यावरणीय मुद्दे —
विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर

रहे हैं। ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को ऐसी वस्तुओं आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कह रहे हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण से होनेवाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की माँग भी ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों से कर रहे हैं। आलोचकों के मतानुसार पिछले दो शताब्दियों में प्रदूषित वातावरण से होनेवाले कुल नुकसान का 3/4 नुकसान विकसित राष्ट्रों ने ही किया है।

अतः ये राष्ट्र प्रदूषण का नया तर्क देकर विकासशील राष्ट्र के सामने समस्याएँ पैदा कर रहे हैं।

II.) Probable Advantages to India & Other Developing Countries by the Membership of WTO:—

भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों को WTO से मिलनेवाले लाभ निम्नलिखित है —

(a.) निर्यात व्यापार में वृद्धि —

(i) WTO के सदस्य बने रहने से भारत के 153 देशों के साथ बहुपक्षीय समझौते सम्भव हो जाएँगे। इन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते नहीं करने पड़ेंगे।

(ii) सीमा शुल्क की दरों में कमी और मण्डियों खुलने से व्यापार में वृद्धि होगी। WTO की स्थापना से पूर्व भारत का वार्षिक निर्यात 26.33 अरब डॉलर का था जो वर्तमान में दोगुना होकर लगभग 66 अरब डॉलर का हो गया है।

(b.) वस्त्र एवं सिले-सिलाए कपड़े के निर्यात में वृद्धि —

वस्त्रों एवं सिले सिलाए वस्त्रों के बहुतन्तुक समझौते के अन्तर्गत 1974 से कपड़ों के व्यापार पर जो कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू थे वे 2005 तक समाप्त कर दिए गए। कोटा नियंत्रण प्रक्रिया समाप्त हो जाने से भारत को अपने वस्त्रों एवं सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात में वृद्धि करने

(c) सेवा क्षेत्र को लाभ —

WTO प्रस्ताव के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र को व्यापार में शामिल कर लेने से भारत जैसे विकासशील देश को लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार विकसित देश विकासशील राष्ट्रों में अनेक व्यापारिक सेवा प्रतिष्ठानों, जैसे - बैंक, यातायात, होटल आदि खोलेंगे। इसके बदले में विकसित राष्ट्र भारत को अपनी वस्तुएँ बेचने के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध करायेंगे।

(d.) व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार या ट्रिप्स —

WTO के बनने से पहले डंकल प्रस्ताव में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, औद्योगिक डिजाइन, विद्युत आकृति, भौगोलिक संकेतांक और पेटेंट्स को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अन्तर्गत रखा गया है। इस प्रस्ताव से भारत को कोई विशेष हानि नहीं होनेवाली है क्योंकि केवल पेटेंट्स को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में भारत की न्यायिक और प्रशासनिक पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है।

(e.) प्रति राशिपातन से लाभ —

गैट समझौते में व्यवस्था की गयी है कि यदि राशिपातन आयात, आयातकर्ता देश के घरेलू उद्योग को हानि पहुँचाता है तो अनुबन्धित सदस्यों को अधिकार है कि वे राशिपातन विरोधी उपायों को अपनाएं। भारत में कई देशों द्वारा अपने उत्पाद को राशिपातन किया जाता है, इन नियमों से यहाँ की सरकार को राशिपातन के खिलाफ नियम बनाने में मदद मिलेगी।

(f) स्वैई जेनेरिस व्यवस्था से लाभ —

पौधा प्रजनकों के अधिकारों के माध्यम से किसानों को ज्यादा परिष्कृत बीज बाजार में मिल सकेंगे और इससे भारत के कृषि अनुसन्धान संस्थानों को भी ज्यादा

लाभ मिलेगा। इसके जेनेरिक व्यवस्था से कृषि में अनुसन्धान और विकास निवेश बढ़ेगा और अधिक उपज देनेवाली बेहतर किस्मों का विकास होगा।

4.) अन्य व्यवस्था से लाभ —
अन्य लाभ निम्नलिखित हैं —

(i.) विदेशी मुद्रा भण्डारों में वृद्धि —
भारत के निर्यातों एवं विशेषज्ञों की सेवाओं के निर्यातों से होनेवाली वृद्धि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी तथा देश में एक मजबूत विदेशी मुद्रा कोष बनेगा।

(ii.) विदेशी निवेश में वृद्धि —
समझौते में विदेश कम्पनियों को घरेलू कम्पनियों के बराबर रखे जाने की व्यवस्था है। इससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेगे।

(iii.) विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता —
गैट समझौते से उदारीकरण पर बल मिलने से विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ गयी। परिणामस्वरूप देश के नागरिकों को अनेक वस्तुएँ सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी।

(iv.) रोजगार में वृद्धि —
भारत में व्यापार वृद्धि के कारण न लाख व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार सृजन की सम्भावना है। निर्यात बढ़ने से रोजगार व आमदनी भी बढ़ जाएगी।